8

8.1 अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं
8.2 दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं
8.3 सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाएँ
8.4 सहकारिता विकास निधि
8.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
8.6 ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिए रोडमैप
अध्याय 8 का परिशिष्ट

ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का सशक्तीकरण

नाबार्ड अभिशासन में सुधार, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, व्यवसाय विविधीकरण, उत्पाद नवोन्मेष, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करके ग्रामीण वित्तीय संस्थान को सुदृढ़ करता है.

ग्रामीण समृद्धि का संवर्धन नाबार्ड के विज़न के केंद्र में है, नाबार्ड का मिशन इस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक प्रमुख मार्ग के रूप में संस्थागत विकास पर ज़ोर देता है. नाबार्ड को ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) के तीन वर्गों अर्थात् अल्पावधि ऋण सहकारी समितियों, दीर्घावधि ऋण सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सुदृढ़ करने का अधिदेश दिया गया है. प्रत्येक वर्ग में ग्रामीण समुदायों की विविध और बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट अधिदेश होता है. अपनी व्यापक पहुँच, स्थानीय समझ और जुड़ाव तथा ज़मीनी स्तर पर विकास के प्रति इनकी प्रतिबद्धता के कारण ये संस्थाएं ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं. उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, कि केवल वित्तीय रूप से मजबूत ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ ही कुशल वित्तीय सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि के घोषित उद्देश्य को प्राप्त कर सकती हैं.

इसी पृष्ठभूमि में नाबार्ड इन संस्थाओं को वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षी उपायों के माध्यम से सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें नीतिगत समर्थन और रियायती पुनर्वित्त आदि शामिल हैं. नाबार्ड की विकासात्मक पहलें ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ और गतिमान बनाने के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्ष्य बनाती हैं - अभिशासन में सुधार, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, व्यवसाय विविधीकरण, उत्पाद नवोन्मेष, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, क्षमता निर्माण आदि. नाबार्ड आरएफआई के निष्पादन और उनके अधिदेशित पर्यवेक्षण की आवधिक समीक्षा भी करता है.

8.1 अल्पावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएँ

सहकारी संस्था एक वित्तीय इकाई है जिसका स्वामित्व और संचालन उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है जो ग्राहक और शेयरधारक दोनों होते हैं. सहकारी समितियों को अक्सर स्थानीय समुदाय द्वारा पारस्परिक सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सामूहिक स्वामित्व की भावना के साथ बनाया जाता है. अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) में राज्य/ शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (रास बैंक), जिला स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (जिमस बैंक) और ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) शामिल हैं. पैक्स के माध्यम से किसानों को अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की प्रारंभिक भूमिका को संबद्ध क्षेत्रों को सावधि ऋण; ग्रामीण आवास; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई); माइक्रोफाइनेंस; आदि जैसे गैर-कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए व्यापक बनाया गया है. इस प्रकार, समानता, लोकतंत्र और आपसी सहायता के सिद्धांतों में निहित अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना, संस्थागत ऋण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय, विशेष रूप से किसानों की सेवा कर रही है.

वित्तीय वर्ष 2023 में, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के संदर्भ में रास बैंकों और जिमस बैंकों के समेकित वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, केवल दो रास बैंकों (अर्थात्, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर [जे एण्ड के]) ने विनियामक आवश्यकता से कम सीआरएआर (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात) रिपोर्ट किया. 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 29 जिमस बैंकों का सीआरएआर ऋणात्मक था और 42 जिमस बैंकों में से 38 का सीआरएआर 9% से कम था, ये बैंक पाँच राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में केंद्रित थे: मध्य प्रदेश (38 जिमस बैंकों में से 15), उत्तर प्रदेश (50 जिमस बैंकों में से 11), बिहार (23 जिमस बैंकों में से 5), महाराष्ट्र (31 जिमस बैंकों में से 4) और जम्मू और कश्मीर (3 जिमस बैंकों में से 3).

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान रास बैंकों का समेकित निवल लाभ 7.4% बढ़ गया. 34 रास बैंकों में से 21 ने वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 में लाभ में वृद्धि रिपोर्ट की. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान जिमस बैंकों का समेकित निवल लाभ 38.5% बढ़ गया. घाटे में चल रहे जिमस बैंकों की संख्या 49 से घटकर 46 हो गई.

पिछले 3 वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों और जिमस बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) की समेकित हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है. 34 राज्य सहकारी बैंकों में से 26 ने पिछले वर्ष की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों (%) की सूचना दी. जिमस बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों का हिस्सा भी 11.5% (31 मार्च 2021) से घटकर 9.6% (31 मार्च 2023) हो गया. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में से 13 में जिमस बैंकों की समेकित अनर्जक आस्तियों में गिरावट आई.

वित्तीय वर्ष 2023 में, पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के संदर्भ में रास बैंकों और जिमस बैंकों के समेकित वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ.

तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की तुलना में कारोबार में वृद्धि मंद रही. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, रास बैंक और जिमस बैंक अपने वृद्धिशील ऋण वितरण के लिए उधार पर अधिक निर्भर हो गए. राज्य सहकारी बैंकों और जिमस बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश परिशिष्ट तालिका अ8.1 में दिया गया है.

8.2 दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) किसानों की दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती है और कृषि, संबद्ध और गैर-कृषि क्षेत्रों में पूंजीगत आस्तियों के निर्माण में योगदान देती है. इसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (रासकृग्रावि बैंक) (शीर्ष पर) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (प्रासकृग्रावि बैंक) (कुछ राज्यों में जिला/ तालुका स्तर पर) शामिल हैं (रेखाचित्र 8.1). चूंकि कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, अत: वे ऐसी जमाराशियां नहीं जुटा सकते हैं जो गैर-सदस्यों की मांग पर लौटाई जा सकती हैं और जमाराशियां निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कवरेज में नहीं आती हैं.

चित्र 8.1: दीर्घावधि सहकारी संरचना

एलटीसीसीएस = दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना, पीसीएआरडीबी = प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यूटी = संघ राज्य क्षेत्र.

दिनांक 31 मार्च 2023 की स्थिति अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशि के 80% राज्य सहकारी बैंकों के 54%, और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के 62% की तुलना में रासकृग्रावि बैंकों की जमाराशि कुल देयताओं का केवल 9.4% थी. जमाराशियां जुटाने के लिए एससीएआरडीबी पर लागू सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, वे अपनी ऋण वितरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधारों पर बहुत अधिक निर्भर हैं. 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार रासकृग्रावि बैंकों की कुल देयताओं में उधार का हिस्सा 45.2% था और नाबार्ड से लिया गया ऋण कुल उधार का 83.6% था. रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट तालिका अ8.2 में दी गई है.

8.3 सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाएं

8.3.1 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

नाबार्ड ₹2,516 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यशील पैक्सों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है; वित्तीय वर्ष 2024 में, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त 4,000 पैक्स को मंजूरी दी गई है[1]

एससीएआरडीबी अपनी ऋण वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड से उधारों पर बहुत अधिक निर्भर हैं.

यह परियोजना ईआरपी-आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर[2] के साथ अपेक्षित कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास है ताकि पैक्स को सभी क्रेडिट और गैर-क्रेडिट संचालन के रिकॉर्ड को डिजिटल और निर्बाध रूप से कुशल और पारदर्शी तरीके से कैप्चर करने में सक्षम बनाया जा सके.

24 फरवरी 2024 को, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18,000 डिजिटलीकृत पैक्स का औपचारिक रूप से उदघाटन किया गया.

इस परियोजना में साइबर सुरक्षा के साथ क्लाउड-आधारित सामान्य सॉफ़्टवेयर का विकास, राष्ट्रीय स्तर का डेटा भंडार बनाना और अपलोड करना, प्रशिक्षण और अन्य सहायक सेवाएं शामिल हैं. यह पहल जिमस बैंकों और रास बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशनों के साथ पैक्स के निर्बाध एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी. कंप्यूटरीकरण से पैक्स को बहु-सेवा केन्द्रों में बदलकर समग्र ग्रामीण आजीविका गतिविधियों को कवर करते हुए उत्पादों और सेवाओं की एक शृंखला प्रदान करने के लिए उनकी वास्तविक क्षमताओं का दोहन किया जा सकेगा.

24 फरवरी 2024 को, भारत के प्रधान मंत्री द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18,000 डिजिटलीकृत पैक्स का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया.

8.3.2 एआरडीबी कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में 'सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण' पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यशाला में एआरडीबी के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना का शुभारंभ किया. नाबार्ड 11 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के एआरडीबी की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी है. 31 मार्च 2024 तक सहकारिता मंत्रालय द्वारा 899 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण के लिये 8 राज्यों को स्वीकृति पत्र जारी किये जा चुके हैं.

8.3.3 अन्य घटनाएं

- 'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' पर परियोजना (विवरण खंड 2.7.1 में)
- ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए साझा सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्स (विवरण खंड 2.6 में)
- एआरडीबी में सुधार, पुनर्गठन और नवोन्मेषों पर अध्ययन (विवरण खंड 2.6 में)
- ग्रामीण सहकारी बैंकों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन (विवरण खंड 2.7.3 में)
- ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए फिनटेक कार्यशाला (विवरण खंड 2.7.4 में)

8.4 सहकारिता विकास निधि

सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ) की स्थापना नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1993 में ₹10 करोड़ की आरंभिक निधि से की गई थी, जिसे नाबार्ड के वार्षिक लाभ के अंशदान के माध्यम से समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है.

इस योजना के अंतर्गत, नाबार्ड ने प्रशिक्षण प्रणालियों की गुणवत्ता में सुधार करने और अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में व्यावसायिकता और गुणवत्ता वाले मानव संसाधन को बढ़ावा देने वाली नीतियों को तैयार करने के लिए बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ में सहकारी समितियों में व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की. इस निधि का उपयोग नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थानों (लखनऊ, मंगलूरु और कोलकाता स्थित बर्ड केन्द्र) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए भी किया जाता है.

31 मार्च 2024 तक, स्थापना के बाद से सीडीएफ से ₹326.9 करोड़ की संचयी राशि संवितरित की गई है. पुनःपूर्ति और विनियोजन के बाद, 1 अप्रैल 2024 को कॉर्पस फंड का शेष ₹200 करोड़ है. परिशिष्ट तालिका अ 8.3 में वित्तीय वर्ष 2024 में सहकारिता विकास निधि से सहकारी समितियों को अनुदान सहायता के बारे में जानकारी दी गई है.

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सहकारिता विकास निधि के अंतर्गत प्रमुख परिणाम संकेतकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सहकारी बैंक कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता की योजना (सॉफ्टकॉब) के अंतर्गत सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं को सहकारिता विकास निधि से अधिकांश सहायता प्रदान की जाती है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान सॉफ्टकॉब के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹1,480 लाख की राशि का उपयोग किया गया था.
- नाबार्ड ने रास बैंकों में व्यवसाय विविधीकरण और उत्पाद नवोन्मेष कक्ष (बीडीपीआईसी) की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2021 में योजना आरंभ की थी. 21 बीडीपीआईसी परिचालन में हैं जिनके लिए 31 मार्च 2024 तक ₹13.9 करोड़ मंजूर किए गए हैं.

- पैक्स को बहु-सेवा केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने की योजना के अंतर्गत, पैक्स, परियोजना तैयार करने, एक्सपोजर दौरे, पैक्स कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण, प्रलेखन, प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे उपायों के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता प्राप्त कर सकती हैं.
- पैक्स के कंप्यूटरीकरण की केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, राष्ट्रीय स्तर के पैक्स सॉफ्टवेयर के विकास और रखरखाव (₹236.5 करोड़) तथा हितधारकों के प्रशिक्षण (₹15.5 करोड़) के लिए नाबार्ड के हिस्से के रूप में सहकारिता विकास निधि से ₹252 करोड़ का उपयोग किया जाना है.
- पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित), अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर के लिए व्यापक सहायता योजना, विभिन्न क्षमता निर्माण प्रयासों और आधारभूत संरचना सहायता के लिए उपलब्ध है. असम को छोड़कर प्रत्येक राज्य के लिए ₹100 लाख तक की अनुदान सहायता मंजूर की गई है. 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार इन रास बैंकों के लिए ₹870.1 लाख की राशि मंजूर की गई है.

8.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और समाज के कमजोर वर्गों को वांछित ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी. 31 मार्च 2024 तक, 22,069 शाखाओं के साथ 43 क्षेग्रा बैंक (12 रास बैंकों द्वारा प्रायोजित) अस्तित्व में थे जिनके पास 26 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों (पुदुच्चेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख) में 31.3 करोड़ जमा खाते और 3 करोड़ ऋण खाते थे (चित्र 8.2).[3]

चित्र 8.2: 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

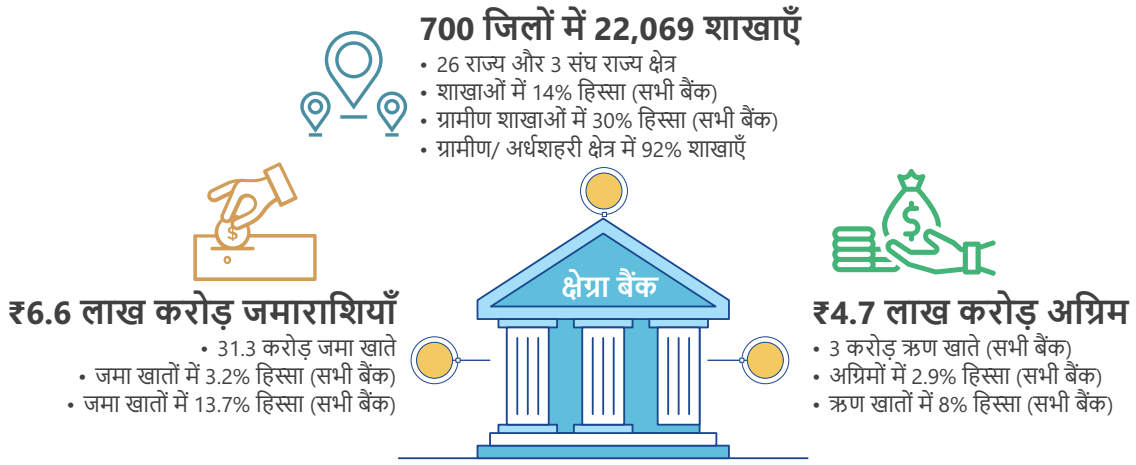

क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यूटी = संघ राज्य क्षेत्र.

8.5.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अभूतपूर्ण पूंजी सहायता

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान क्षेग्रा बैंकों को ₹10,890 करोड़ की पुनर्पूंजीकरण सहायता मंजूर करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया. यह सहायता वर्ष 1975 से 2021 तक सभी हितधारकों द्वारा ₹8,393 करोड़ की कुल पूंजी सहायता की तुलना में काफी बेहतर है.

वित्तीय वर्ष 2022 में, 22 क्षेग्रा बैंकों को पुन:पूंजीकरण सहायता के रूप में ₹8,168 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹4,084 करोड़) की राशि मंजूर की गई थी. इन क्षेग्रा बैंकों को सभी हितधारकों से 31 मार्च 2023 तक स्वीकृत पुन:पूंजीकरण सहायता की पूरी राशि प्राप्त हुई.

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान क्षेग्रा बैंकों को ₹10,890 करोड़ की पुनः पूंजीकरण सहायता मंजूर करने का निर्णय, 1975 से 2021 तक सभी हितधारकों द्वारा ₹8,393 करोड़ के कुल पूंजी निवेश की तुलना में विशेष रूप से बेहतर है.

वित्तीय वर्ष 2023 के अंतिम सप्ताह में, 22 क्षेग्रा बैंकों को पुन:पूँजीकरण सहायता के रूप में ₹2,722 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा: ₹1,361 करोड़) की राशि मंजूर की गई थी.

- 31 मार्च 2024 तक, इन 22 क्षेग्रा बैंकों को प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों से पुन:पूँजीकरण सहायता की पूरी राशि प्राप्त हो गई है.
- 22 क्षेग्रा बैंकों में से 19 को भारत सरकार का पूरा हिस्सा ₹1,097.1 करोड़ प्राप्त हो गया है.
- शेष में से, उत्तर प्रदेश में दो क्षेग्रा बैंकों को फरवरी 2024 में राज्य सरकार का आनुपातिक हिस्सा प्राप्त हुआ. परिणामस्वरूप, उन्हें ₹198.6 करोड़ की मंजूर राशि की तुलना में ₹3 करोड़ की राशि भारत सरकार के भाग के एक भाग के रूप में प्राप्त हुई.
- केरल सरकार ने मार्च 2024 में अपना आनुपातिक हिस्सा जारी किया और केरल ग्रामीण बैंक द्वारा भारत सरकार के शेयर की प्रतीक्षा की जा रही है.

पुन:पूंजीकरण योजना के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रूपांतरित करने के लिए संधारणीय व्यवहार्यता योजना के व्यापक दायरे के तहत परिचालनात्मक और अभिशासनात्मक सुधार किए गए हैं. सभी क्षेग्रा बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023 में 3-वर्षीय बोर्ड-अनुमोदित व्यवहार्यता योजना शुरू की थी, जिसमें ऋण विस्तार, व्यवसाय विविधीकरण, अनर्जक आस्तियों में कमी, लागत को युक्तिसंगत बनाने, प्रौद्योगिकी अपनाने, कॉर्पोरेट अभिशासन में सुधार आदि के उद्देश्य से एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्यान्वयन प्रणाली थी.

8.5.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति के संकेतक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुन:पूंजीकरण सहायता जारी करने और उनके लिए व्यवहार्यता योजना रोल आउट करने के परिणामस्वरूप, समेकित स्तर पर क्षेग्रा बैंकों के प्रदर्शन में वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान काफी सुधार हुआ है जो सभी मोर्चों पर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान समेकित निवल लाभ ₹7,571 करोड़ था और 31 मार्च 2024 को समेकित सीआरएआर 14.2% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था. जीएनपीए द्वारा मापी गई आस्ति गुणवत्ता 6.1% रही, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है. ऋण विस्तार से समेकित ऋण और जमा अनुपात बढ़कर 71.2% हो गया, जो 33 वर्षों में सबसे अधिक है. जब से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने ग्राहकों को डिजिटल सेवाएँ देना आरंभ किया तब से प्रौद्योगिकी अंगीकरण की गति बढ़ गई है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है.

घाटे में चल रहे क्षेग्रा बैंकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2020 में 18 से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में 3 हो गई है. वित्तीय वर्ष 2023 (पिछले वर्ष) में लाभ दर्ज करने वाले 37 क्षेग्रा बैंकों में से वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 32 क्षेग्रा बैंकों के निवल लाभ में वृद्धि हुई है. यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान पिछले कुछ वर्षों के घाटे के बाद चार क्षेग्रा बैंकों (वित्तीय वर्ष 2023 में घाटे में रहे 6 क्षेग्रा बैंकों में से) नामतः दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (6 वर्षों बाद), जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक (4 वर्षों बाद), पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (4 वर्षों बाद) और असम ग्रामीण विकास बैंक (वित्तीय वर्ष 2022 में हुए नाममात्र के लाभ को छोड़कर वित्तीय वर्ष 2019 से घाटे में) ने लाभ कमाया है. तथापि, जम्मू और कश्मीर में इलाकाई देहाती बैंक और मणिपुर ग्रामीण बैंक कर्फ़्यू/ व्यवधानों के कारण परिचालनात्मक कठिनाइयों से घाटे में हैं.

राशि और प्रतिशत-दोनों दृष्टियों से समेकित समग्र अनर्जक आस्तियों में कमी आई है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 43 क्षेग्रा बैंकों में से 38 क्षेग्रा बैंकों में समग्र अनर्जक आस्तियों (%) में कमी आई है. सभी क्षेग्रा बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियामक लक्ष्यों/ उप-लक्ष्यों को पूरा किया. कार्यनिष्पादन में हुए सुधार को चित्र 8.3 में दर्शाया गया है. मुख्य निष्पादन संकेतकों को परिशिष्ट तालिका अ8.4 में संक्षेपित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024 में प्राथमिकता प्राप्त ऋण के लक्ष्यों की उपलब्धि के संदर्भ में क्षेग्रा बैंकों का प्रदर्शन परिशिष्ट तालिका अ8.5 में प्रस्तुत किया गया है.

घाटे में चल रहे क्षेग्रा बैंकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2020 में 18 से घटकर वित्तीय वर्ष 2024 में 3 हो गई है. वास्तव में, कई वर्षों के नुकसान के बाद 4 क्षेग्रा बैंकों ने लाभ दर्ज किया है.

क्षेग्रा बैंक भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यद्यपि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल कारोबार में क्षेग्रा बैंकों की हिस्सेदारी 3% है, लेकिन इन योजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी हिस्सेदारी 16% से 19% तक है.

चित्र 8.3: क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार

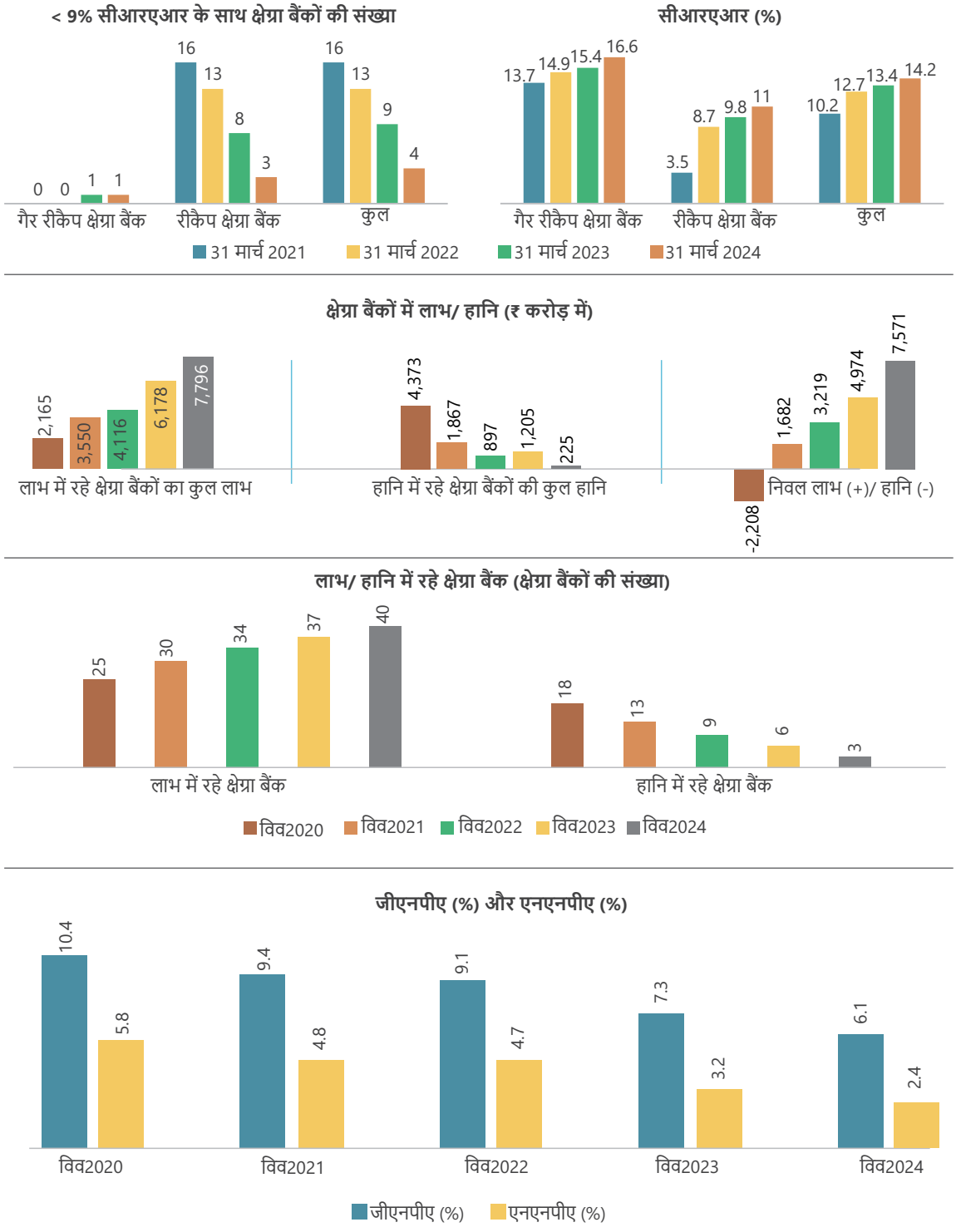

सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्तियां, एनएनपीए = निवल अनर्जक आस्तियां, रीकैप = पुनः पूंजीकृत, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रौद्योगिकी उन्नयन में 14 ग्राहक-केन्द्रित डिजिटल सेवाओं और आठ बैंक केन्द्रित डिजिटल उन्नयन का कार्यान्वयन शामिल है.

नामांकनों में उच्च वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान उनकी हिस्सेदारी में और वृद्धि हुई है. यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि सभी श्रेणियों के बैंकों के बीच क्षेग्रा बैंकों के पास पीएमजेडीवाई खातों में प्रति खाता औसत जमा राशि सबसे अधिक है (क्षेग्रा बैंक में प्रति खाता ₹4,292 जबकि अन्य बैंकों में प्रति खाता ₹4,040).

8.5.3 क्षेग्रा बैंकों में प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ज़ोर

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने क्षेग्रा बैंकों के कामकाज की समीक्षा के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें क्षेग्रा बैंकों के प्रौद्योगिकी उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया (चित्र 8.4). निम्नलिखित मुद्दों पर ज़ोर दिया जा रहा है:

- ग्रामीण बैंकिंग सेवा वितरण में सुधार के लिए क्षेग्रा बैंकों में 14 ग्राहक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं को शुरू करना, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), कॉल सेंटर सुविधा, खाता एग्रीगेटर ढांचा, वीडियो नो-योर-कस्टमर (केवाईसी), भारत बिल भुगतान सेवा, आदि;
- परिचालन में दक्षता बढ़ाने के लिए क्षेग्रा बैंकों में आठ बैंक-केंद्रित डिजिटल उन्नयन जैसे सीबीएस उन्नयन, ऋण उत्पत्ति प्रणाली, एनपीए प्रबंधन मॉड्यूल, एचआरएमएस मॉड्यूल आदि का कार्यान्वयन[4]

चित्र 8.4: विविध डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या

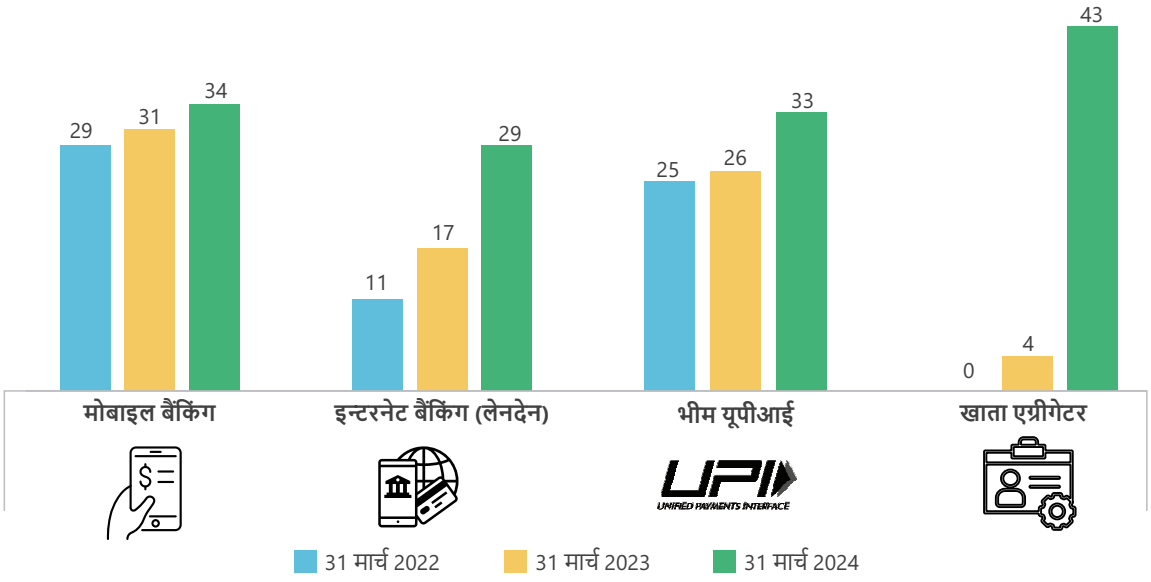

बीएचआईएम (भीम) यूपीआई = भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस.

8.5.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाएँ

शिक्षा ऋणों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना की ऋणदात्री सदस्य संस्था के रूप में क्षेग्रा बैंक

शिक्षा के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण के अंतर्गत क्षेग्रा बैंकों के घटते ऋण पोर्टफोलियो के मुद्दे को हल करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने 18 अप्रैल 2023 के राजपत्र की अधिसूचना के माध्यम से, भारतीय बैंक संघ के सदस्य क्षेग्रा बैंकों को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रशासित शिक्षा ऋण गारंटी निधि योजना की पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्था के रूप में शामिल किया है.

ऋण गारंटी निधि न्यास के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए गारंटी की सीमा में वृद्धि

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) ने दिनांक 15 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से, 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद अनुमोदित सभी गारंटियों के लिए क्षेत्रा बैंकों हेतु गारंटी की सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी है.

क्षेत्रा बैंकों में भर्ती, पदोन्नति और आउटसोर्सिंग के संबंध में समिति, प्रायोजक बैंकों के अध्यक्ष और अधिकारियों की क्षेत्रा बैंक में प्रतिनियुक्ति

समिति की अध्यक्षता नाबार्ड के अध्यक्ष श्री शाजी के.वी. ने की, जिसका कार्य मित्रा समिति की सिफारिशों और मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करना तथा भर्ती, स्थानांतरण, अध्यक्ष की नियुक्ति आदि पर उपयुक्त सिफारिशें करना था. समिति की रिपोर्ट 6 नवंबर 2023 को भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग को सौंप दी गई है.

थोक जमाराशियों पर अनुदेशों की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2023 की अधिसूचना के तहत क्षेत्रा बैंकों के लिए थोक जमाराशियों की सीमा को बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया है. इससे पहले, क्षेत्रा बैंकों के लिए ₹15 लाख या उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा को 'थोक जमा' के रूप में वर्गीकृत किया जाता था.

फोकस में क्षेत्रा बैंक[5]

'फोकस में क्षेत्रा बैंक' व्यवस्था क्षेत्रा बैंकों को चेतावनी का संकेत देती है ताकि वे वित्तीय स्थिति में और अधिक गिरावट से बचने और 'तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई' फ्रेमवर्क में फंसने से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय आरंभ कर सकें. नाबार्ड 'फोकस में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों' को अन्य प्रकार की सहायता के अलावा निरंतर मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है. 31 मार्च 2023 तक लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 15 क्षेत्रा बैंकों को 'फोकस में क्षेत्रा बैंक' के रूप में वर्गीकृत किया गया था (जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में 16 थे). मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (वित्त वर्ष 2023 में फोकस में) के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ और यह वित्तीय वर्ष 2024 में 'फोकस में' सूची से बाहर आया. वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 'फोकस में' 16 क्षेत्रा बैंकों में से 11 बैंकों के सीआरएआर में सुधार हुआ, सभी 16 में सकल अनर्जक आस्तियों में सुधार हुआ और 10 क्षेत्रा बैंकों में आस्तियों पर रिटर्न द्वारा मापी गई लाभप्रदता में सुधार हुआ.

क्षेत्रा बैंकों के क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएँ/ संगोष्ठियाँ

11-12 मई 2023 को सभी क्षेत्रा बैंकों के अध्यक्षों के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के समन्वय में 'क्षेत्रा बैंकों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन व्यवहार्यता को मजबूत करने' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

4 जनवरी 2024 को 'एमएसएमई ऋण पर भारत सरकार की नीतियों के अभिसरण/ जागरूकता' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नाबार्ड, सीजीटीएमएसई और क्षेत्रा बैंकों के अध्यक्षों जैसे प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा एमएसएमई के लिए भारत सरकार की योजनाओं, सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी योजनाओं और एमएसएमई ऋण देने में सर्वोत्तम प्रथाओं पर सत्र संचालित किए गए.

15 मार्च 2024 को क्षेत्रा बैंकों के अध्यक्षों के लिए 'व्यवसाय वृद्धि के लिए अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क का लाभ उठाना' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एए फ्रेमवर्क के माध्यम से उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को आमंत्रित करने की रणनीति प्रस्तुत की गई. एए उद्योग के विशेषज्ञों ने क्षेत्रा बैंकों के लाभ के लिए जीवंत उदाहरण और केस परिदृश्य प्रस्तुत किए.

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 'फोकस में' 16 क्षेत्रा बैंकों में से 11 बैंकों के सीआरएआर में सुधार हुआ, सभी 16 में सकल अनर्जक आस्तियों में सुधार हुआ और 10 क्षेत्रा बैंकों में आस्तियों पर रिटर्न द्वारा मापी गई लाभप्रदता में सुधार हुआ.

8.6 ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिए आगे की राह

सहकारी क्षेत्र को दक्षता और आधुनिकीकरण के एक नए युग में आगे बढ़ाने में भारत सरकार की 'नई सहकारी नीति' के अनुसार नाबार्ड एक सक्रिय भूमिका निभाएगा. एक महत्वपूर्ण कदम में सभी सक्रिय पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण करना तथा उन्हें एक ही सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के अंतर्गत समेकित करना शामिल है.

सर्वोत्तम बैंकिंग -केंद्रित और ग्राहक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के अंगीकरण को बढ़ावा देकर, ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं अपनी सेवाओं को बढ़ा सकती हैं और आज के डिजिटल युग में अपने ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं.

इस पहल का उद्देश्य पैक्स के डेटा को एकल डेटा रिपॉजिटरी में केंद्रीकृत करना है, जिससे सभी हितधारकों के लिए सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग की सुविधा मिल सके. साथ ही, सभी एआरडीबी और उनकी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा, जिससे उनकी परिचालन प्रभावशीलता बढ़ेगी. नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सहकारी अभिशासन सूचकांक (सीजीआई) के कार्यान्वयन के लिए एक मंच तैयार करने जा रहा है. सीजीआई पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन सहकारी बैंकों के भीतर कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए एक साधन के रूप में काम करेगा. प्रायोगिक चरण वित्तीय वर्ष 2025 में 69 रास बैंकों और जिमस बैंकों में लागू होने जा रहा है. इसके बाद सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिमस बैंकों में इसे रोल-आउट किया जाएगा.

नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की व्यवहार्यता योजनाओं की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी व्यवहार्यता योजनाओं में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करें. इससे क्षेग्रा बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के बीच प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सुविधा होगी. सर्वोत्तम बैंकिंग-केंद्रित और ग्राहक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के अंगीकरण को बढ़ावा देकर, ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं अपनी सेवाओं को बढ़ा सकती हैं और आज के डिजिटल युग में अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा कर सकती हैं.

नाबार्ड द्वारा बीडीपीआईसीएस और पैक्स विकास कक्षों के सहयोग के माध्यम से अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना द्वारा व्यवसाय विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है. यह सीडीएफ सहायता के अंतर्गत योजना के विभिन्न दिशानिर्देशों को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है. नाबार्ड सहकारी समितियों और क्षेग्रा बैंकों के कार्मिकों के कौशल आधार में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा. यह टर्नअराउंड योजनाओं और कार्यान्वयन योग्य रणनीतियों के माध्यम से कमजोर रास बैंकों और जिमस बैंकों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा.

नोट्स

1. अधिक विवरण के लिए कृपया नाबार्ड (2023), वार्षिक रिपोर्ट, 2022-23, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई देखें. बॉक्स 8.1, पृष्ठ 95. https://www.nabard.org/pdf/2023/annual-report-2022- 23-full-report.pdf.
2. ईआरपी = उद्यम संसाधन आयोजना.
3. जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक की लद्दाख में चार शाखाएँ हैं.
4. सीबीएस = कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स, एचआरएमएस = मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली, एनपीए = अनर्जक आस्तियाँ.
5. ऐसे क्षेग्रा बैंक जो पिछले निरंतर 2 वर्षों के लिए इन तीन में से एक मापदंड को पूरा करते हैं—सीआरएआर < 10%; जीएनपीए >= 10%; आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) < 0%—को 'फोकस में क्षेग्रा बैंक' माना जाएगा.

अध्याय 8 के परिशिष्ट

तालिका अ8.1: रास बैंकों और जिमस बैंकों का समेकित कार्यनिष्पादन (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*मापदंड*	*रास बैंक*			*जिमस बैंक*		
		31 मार्च 2022	*31 मार्च 2023*	*% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)*	*31 मार्च 2022*	*31 मार्च 2023*	*% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)*
1	बैंक (संख्या)	34	34	–	351	351	–
2	शाखाएँ (संख्या)	2,089	2,102	0.6	13,670	13,698	0.2
3	शेयर पूंजी	9,263	9,774	5.5	24,472	26,486	8.2
4	प्रारक्षित निधि	17,971	20,544	14.3	26,474	28,729	8.5
5	जमाराशियाँ	2,40,953	2,42,327	0.6	4,12,573	4,33,358	5
6	उधार	1,23,785	1,54,970	25.2	1,28,524	1,47,207	14.5
7	निवेश	1,40,966	1,48,666	5.5	2,35,913	2,47,942	5.1
8	बकाया ऋण	2,38,919	2,65,580	11.2	3,36,546	3,70,851	10.2
9	आस्तियां/ देयताएँ	4,17,233	4,51,840	8.3	6,49,546	6,97,304	7.4
10	लाभ में रहे बैंक (संख्या)	31	32	सुधार	302	305	सुधार
11	हानि में रहे बैंक (संख्या)	3	2	सुधार	49	46	सुधार
12	निवल लाभ/ हानि	2,288	2,458	7.4	1,358	1,881	38.5
13	ऋण जमा अनुपात (%)	99.2	109.6	सुधार	81.6	85.6	सुधार
14	सीआरएआर (%)	13	13.3	सुधार	12.2	12.1	खराब
15	सीआरएआर <9% (बैंकों की सं.)	3	2	सुधार	39	42	खराब
16	जीएनपीए (%)	6	5.4	सुधार	10.8	9.6	सुधार
17	एनएनपीए (%)	2.5	2.1	सुधार	4.5	3.9	सुधार
18	पीसीआर (%)	65.1	67.2	सुधार	70.7	78.4	सुधार

सीडी अनुपात = ऋण जमा अनुपात, सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जीएनपीए= सकल अनर्जक आस्तियां, एनएनपीए = निवल अनर्जक आस्तियां, पीसीआर = प्रावधान कवरेज अनुपात, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, वाईओवाई = वर्ष दर वर्ष.

नोट्स:

- वित्त वर्ष 2023 के दौरान, मलप्पुरम डीसीसीबी का सहकारी रजिस्ट्रार (आरसीएस), केरल सरकार की कार्यवाही/ आदेश संख्या सीबी(5)6394/ 2020 दिनांक 12 जनवरी 2023 के माध्यम से केरल राज्य सहकारी बैंक में विलयन कर दिया गया.
- मलप्पुरम डीसीसीबी के केरल रास बैंक के साथ विलयन का मामला उच्चतम न्यायालय में है. अत: मलप्पुरम डीसीसीबी का डेटा, जिमस बैंकों के साथ दर्शाया गया है.

स्रोत: नाबार्ड के एनश्योर पोर्टल में बैंकों द्वारा प्रस्तुत स्थलेतर निगरानी विवरणी

तालिका अ8.2: रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की वित्तीय स्थिति का अवलोकन (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*मापदंड (राशि ₹ करोड़ में)*	*रासकृग्रावि बैंक*		*प्रासकृग्रावि बैंक*	
		31 मार्च 2022	*31 मार्च 2023[P]*	*31 मार्च 2022*	*31 मार्च 2023[P]*
1	संस्थाओं की संख्या	13	13	604	608
2	ऐसी संस्थाओं की संख्या जिनका डाटा उपलब्ध है	13	13	604	603
3	शेयर पूंजी	967	973	1,076	1,094
4	प्रारक्षित निधि	5,294	5,572	4,402	4,433
5	जमाराशियाँ	2,584	2,621	1,675	1,720
6	उधार	13,409	12,559	17,286	16,712
7	बकाया ऋण	20,854	20,770	16,623	15,773
8	निवेश	2,357	2,913	2,305	2,378
9	कुल आस्तियां/ देयताएँ	28,097	27,794	33,461	32,445
10	लाभ में रहे बैंक (सं.)	10	10	203	351
11	लाभ	157	448	95	525
12	हानि में रहे बैंक (सं.)	3	3	401	252
13	हानि	72	40	685	305
14	निवल लाभ/ हानि	85	408	-589	220
15	जीएनपीए (राशि)	7,522	7,571	6,768	6,371
16	जीएनपीए (%)	36.1	36.5	40.7	40.4

जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्तियां, प्रासकृग्रावि बैंक = प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पी = आंकड़े अनंतिम हैं, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.
स्रोत:रासकृग्रावि बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े.

तालिका अ8.3: वित्तीय वर्ष 2024 में सीडीएफ़ से सहकारी संस्थाओं के लिए अनुदान सहायता

क्रम सं	*प्रयोजन*	*लाभार्थी एजेंसी*	*राशि (₹ लाख)*
1	सॉफ्टकॉब	सहकारी प्रशिक्षण संस्थान	1,480
2	आधारभूत संरचना सहायता	पैक्स	52
3	पैक्स विकास कक्ष	जिमस बैंक/ रास बैंक	7
4	बीआईआरडी के माध्यम से प्रशिक्षण	बीआईआरडी	348
5	एक्सपोजर दौरे	रास बैंक/ जिमस बैंक/ पैक्स	99
6	सम्मेलन/ संगोष्ठी/ कार्यशाला	रास बैंक/ जिमस बैंक	75
7	संगठनात्मक विकास पहलें	जिमस बैंक	-
8	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए व्यापक सहायता योजना	रास बैंक	144
9	पैक्स कंप्यूटरीकरण	रास बैंक/ जिमस बैंक	3
10	बीडीपीआईसी	रास बैंक	146
11	सी-पीईसी	सी-पीईसी	335
12	एमएससी के रूप में पैक्स	पैक्स	347
13	प्रकाशन	ग्रामीण सहकारी बैंक	7
14	अन्य पहलें	आरसीसीआई	285
कुल			**3,328**

बीआईआरडी = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सीडीएफ़ = सहकारिता विकास निधि, सी-पीईसी = सहकारी समितियों में व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र, सीटीआई = सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, एमएससी = बहु सेवा केंद्र, एनईआर = पूर्वोत्तर क्षेत्र, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, आरसीसीआई = ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं, सॉफ्टकोब = सहकारी बैंक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

तालिका अ8.4: क्षेग्रा बैंकों का समेकित कार्यनिष्पादन (राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	*मापदंड*	*31 मार्च 2023*	*31 मार्च 2024*	*% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)*
1	शाखाएँ (सं.)	21,995	22,069	0.3
2	शेयर पूंजी	17,232	19,042	10.5
3	प्रारक्षित निधि	40,123	46,659	16.3
4	जमाराशियाँ	6,08,509	6,59,815	8.4
5	उधार	84,712	92,444	9.1
6	निवेश	3,13,401	3,19,099	1.8
7	बकाया ऋण	4,10,738	4,70,109	14.5
8	आस्तियां/ देयताएँ	7,71,462	8,40,080	8.9
9	लाभ में बैंक (सं.)	37	40	सुधार
10	हानि में बैंक (सं.)	6	3	सुधार
11	निवल लाभ/ हानि	4,974	7,571	52.2
12	ऋण जमा अनुपात (%)	67.5	71.2	सुधार
13	सीआरएआर (%)	13.4	14.2	सुधार
14	सीआरएआर के साथ बैंक <9%	9	4	सुधार
15	जीएनपीए (%)	7.3	6.2	सुधार
16	एनएनपीए (%)	3.2	2.4	सुधार
17	पीसीआर (%)	59.2	62.6	सुधार

सीडी अनुपात = ऋण जमा अनुपात, सीआरएआर = जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, जीएनपीए = सकल अनर्जक आस्तियां, एनएनपीए= निवल अनर्जक आस्तियाँ', पीसीआर = प्रावधान कवरेज अनुपात, वाईओवाई = वर्ष-दर-वर्ष
स्रोत : नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल तथा आरआरबी दर्पण पोर्टल पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत स्थलेतर निगरानी विवरणियाँ.

तालिका अ8.5: वित्तीय वर्ष 2024 में क्षेग्रा बैंकों द्वारा पीएसएल लक्ष्यों की उपलब्धि

क्रम सं.	*क्षेत्र/ उप-क्षेत्र*	*लक्ष्य (%)*	*उपलब्धि (%)*	
1	समग्र प्राथमिकता क्षेत्र	75.0	88.6	सभी क्षेग्रा बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सभी लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को पूरा कर लिया है.
2	कृषि	18.0	34.2	
3	लघु और सीमांत किसान	10.0	19.0	
4	गैर-कॉर्पोरेट किसान	13.8	94.1	
5	सूक्ष्म-उद्यम	7.5	15.0	
6	कमजोर वर्ग	15.0	84.8	

पीएसएल = प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.
नोट: वित्तीय वर्ष 2024 के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत लक्ष्य और उपलब्धि की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी चार तिमाहियों के लिए उपलब्धि के औसत आधार पर की जाती है. एएनबीसी पिछले वर्ष की तदनुरूपी तारीख के अनुसार है.